

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

पत्रांक रजमान्यता/EM/ 1175-78

विषय-आवेदित नर्सरी से कक्ष 08 तक की अंग्रेजी माध्यम की नवीन अख्याई मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा हस कार्यालय में प्रस्तुत नर्सरी से कक्ष 08 तक की अंग्रेजी माध्यम की नवीन अख्याई मान्यता हेतु आवेदन-पत्र के प्रति शासनादेश माध्यम के अशासकीय विद्यालयों की मान्यता हेतु निर्धारित मानकों के प्रति, शासनादेश दिनांक 08.05.2013 एवं शासनादेश सं-1226/70-6-2017-18 एस(7)/89 शिक्षा अनुबान-6 दिनांक 04 दिसम्बर 2017 द्वारा अंग्रेजी प्रदान करने हेतु मण्डल पर प्रावधानित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 12.02.2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार अधिकारी प्रस्ताव नेतृत्वित परिवर्त्तन का पालन अनिवार्य रूप से करने के आदेश हैं साथ प्रदान की जाती है। इन प्रतिवर्त्तनों का उल्लंघन करने पर मान्यता प्रत्याहारित की जा सकती।

सेवा में

प्रबन्धक, अधिकारी प्रसाद येमोरियल परिवक स्कूल,
गुवलांगज, उन्नाव।

/नवीनी-8/2018-19 दिनांक १४-७-१९

- 01 विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यवितर्तों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाप-यूनियन के लिये संचालित नहीं किया जावेगा।
- 02 इस अख्याई मान्यता के प्रति किसी प्रकार का शासकीय अनुबान नहीं दिया जायेगा। विद्यालय अनुमति, स्टाफ को बैठनादि हेतु विद्यालय स्वावित्त पोषित होंगे।
- 03 विद्यालय संचालनकर्ता सोसाइटी का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत पंजीकृत एवं निर्धारित संस्था पर नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
- 04 अनिश्चयन यंत्र मानक के अनुसार स्थायीत कराया जाना, अनिश्चयन यंत्रों के संचालन का स्टाफ को प्रतिवर्त्तन कराया जाना तथा जलनशील/हानिकारक पदार्थों को बच्चों की पहुँच से दूर सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
- 05 नेशनल विटिंग कोड 2005 में प्राविधानित सुखा उपायों/मानकों को सुनिश्चित किया जायेगा तथा दूर-ताल वाले घरन के लिये अबर अभियन्ता तथा एक से अधिक तल वाले विद्यालय घरन के लिये सहायक अभियन्ता का घरन सुखा प्राप्त-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 06 भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय धर्म एवं सर्वधर्म समावाप तथा भानवीय मूल्यों की सम्माप्ति के लिये प्राविधानित समितियों तथा समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 07 विद्यालय नवन/परिच्छा को किसी भी दरा में व्यवसायिक एवं आकाशीय उद्देश्य के लिये दिन द रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय की सुखा से संबंधित कर्मियों के आवास हेतु सूट रहेंगी। विद्यालय भवन परिसर या मैदान को किसी राजनीतिक या गैर शैक्षिक छियाकलार्पों के प्रयोग में नहीं लिया जायेगा। विद्यालय का बाह्य रंग सफेद होना चाहिये।
- 08 विद्यालय का निरीक्षण विशी सरकारी अधिकारी अथवा स्वामीय शिक्षा प्राधिकारी (खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उच्चतम उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी/विलाषिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी) द्वारा किया जा सकता। वैसेहिक शिक्षा विभाग के प्राप्तवीय/मैटलीन/राज्य स्तरीय अथवा अच्युत किसी सदम अधिकारी द्वारा विद्यालय से संबंधित सूचनाएं एवं आख्या भोगे जाने पर निर्देशानुसार प्रस्तुत करना तथा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- 09 विद्यालय सोसाइटी का आत्मनियन्त्रित सुखा उपर्युक्त निजी घरन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किए गए लोन पर (रेजिस्टर्ड किरायानामा) होना अनिवार्य है। रजिस्टर्ड किरायानामा की उक्त अवधि समाप्त होने पर पुनः कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिये किरायानामा रजिस्टर्ड कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 10 प्रत्येक कक्ष में प्रति छात्र 09 वर्षफॉट की दर से स्थान उपलब्ध होना/कक्षाकाल का ट्रैफॉट 180 वर्षफॉट (कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था) होना अनिवार्य है। न्यूनतम भानक क्षेत्रफल एवं छात्र संख्या का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
- 11 शिक्षण कक्षों के अतिरिक्त, प्रधान अध्यापक कक्ष, कार्यालय, स्टाफ कक्ष, पुस्तकालय/वाचनालय, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापक-अध्यापिकाओं के लिये पृथक्-पृथक् शौचालय-मूत्रालय की व्यवस्था, पीने हेतु जीवाणु रहित स्वच्छ पेयजल की सुनिश्चित व्यवस्था होना अनिवार्य है।
- 12 कक्षा स्तर के अनुरूप छात्रोंपार्शी विभिन्न विशेषों की प्रतिक्रिया, खेलकूद का सामन, मानचित्र, शैक्षिक बार्ट की उपलब्धता अनिवार्य है।
- 13 विद्यालय में संचालित प्रत्येक कक्ष के लिये उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित निर्देशों के अनुसार शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अहंतायुक्त विज्ञान/विज्ञान/भाषा/कार्यानुभव शिक्षक-शिक्षिकाओं की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
- 14 नर्सरी से कक्ष 08 के अतिरिक्त अन्य आवास कक्षों से संचालित नहीं की जाएंगी। यही वर्ग, वर्ष, जाति के बच्चों को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा। अमाव्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दरा में नहीं किया जायेगा।
- 15 शिक्षण का व्यवस्था अंग्रेजी रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्य पुस्तक ही पाठ्यक्रम में चलाई जायेंगी। अमाव्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दरा में नहीं किया जायेगा।
- 16 जिलोंशिक्षिकारी की पूर्ण अनुमति के बिना संस्था द्वारा कोई कक्ष अथवा अनुसार न खोला जायेगा, न भी बन्द किया जायेगा, न समाप्त किया जायेगा, न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। इस मान्यता आदेश के आधार पर आख्या विद्यालय संचालित करना शासनादेश का उल्लंघन नहीं जायेगा।
- 17 विद्यालय प्रबन्ध समिति को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रम में च०३० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में प्रावधानित प्रतिवर्त्तन का पालन करना अनिवार्य होगा।

मरम्मा
(विलाषिकारी)
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

पृष्ठा-मान्यता/EM/ /2018-19 तददिनांक

प्रतिलिपि निर्विचित अधिकारियों की सेवा में सुखानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01- सचिव, उ०३० वैसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 02- मण्डलीय सहायक शिक्षा निवेशक (वैसिक) दृष्टि मण्डल, लखनऊ।
- 03- खण्ड शिक्षा अधिकारी, शिल्पसरोती, उन्नाव।

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी,
उन्नाव।

Apurba
MANAGER

Ambika Prasad Memorial Public School
Shukla Ganj, Unnao